पर्यटकों के लिए रास्तों पर होटल से ईवी चार्जिंग तक की सुविधाएं

राज्य, जागरण● लखनऊ: पर्यटकों के लिए राजमार्गों और प्रमुख पर्यटन स्थलों को जाने वाले रास्तों पर ढाबों में ठहरने, खान-पान, पार्किंग, शौचालय से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग की व्यवस्थाएं की जाएंगी। पर्यटकों को बेहतर अनुभव मुहैया कराने के लिए मार्गीय सुविधाओं (वे साइड एमिनिटीज) की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इन सुविधाओं से युक्त इकाइयों के विकास के लिए पर्यटन विभाग ने चार माडल तैयार किए हैं। इनमें शामिल निजी निवेश माडल में निवेशक को 30 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा।

प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में मार्गीय सुविधाओं के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है। विभाग द्वारा तैयार की गई कार्ययोजना में इन सुविधा इकाइयों-ढाबों के निर्माण के लिए सरकारी सहभागिता माडल, भू-संयोजन माडल, पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित इकाई माडल और निजी निवेश माडल बनाए गए हैं। सरकारी सहभागिता माडल में पर्यटन विभाग, संबंधित स्थानीय निकाय के साथ इकाई की स्थापना की जाएगी। इसमें भूमि का स्वामित्व निकाय का होगा, जबकि परियोजना की लागत का 75% पर्यटन विभाग और 25% संबंधित निकाय खर्च करेगा। निर्माण पूर्ण होने के बाद पीपीपी मोड पर संचालन के लिए संस्था का चयन निकाय करेगा। भू-संयोजन माडल में पर्यटन विभाग द्वारा संबंधित निकाय व अन्य विभागों से उपलब्ध भूमि पर इकाई की स्थापना के लिए अनापत्ति ली जाएगी। निर्माण का पूरा खर्च पर्यटन विभाग वहन करेगा। पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित इकाई माडल के तहत विभाग भूमि अर्जित कर स्वयं इकाई का निर्माण करेगा। जबकि निजी निवेश माडल के तहत इकाई की स्थापना या पहले से संचालित इकाई के उच्चीकरण के लिए निवेशकों को निवेश (ऋण एवं स्वयं के निवेश) के सापेक्ष 30% तक का एकमुश्त पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग से पर्यटन नीति 2022 के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त लेना होगा। कार्ययोजना के अनुसार न्यूनतम 25 लोगों के लिए रेस्टोरेंट, कम से कम छह कमरों का होटल, कन्वेंशन सेंटर, पर्यटक सूचना केंद्र, बच्चों के लिए खेल की जगह, पर्याप्त पार्किंग और पुरुषों, महिलाओं व दिव्यांगों के लिए कम से कम पांच-पांच शौचालय का निर्माण करना होगा। इनके साथ ईवी चार्जिंग, आरओ युक्त शुद्ध पेयजल, माड्यूलर किचन-फ्रीजर, सोलर लाइट, प्राथमिक उपचार बाक्स, वाहन रिपेयर सुविधा, एटीएम, विलेज हाट-एमएसएमई क्राफ्ट शाप की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। इन मार्गीय सुविधा इकाइयों का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों व अन्य प्रमुख मार्गों पर आवश्यकतानुसार किया जाएगा। दो इकाइयों के बीच कम से कम 50 किलोमीटर की दूरी अनिवार्य होगी।

निर्माण में सहयोग के लिए बनाई जाएगी जिलास्तरीय समिति

वे-साइड एमिनिटीज की स्थापना में सहयोग के लिए संबंधित जिले के डीएम की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। समिति में संबंधित स्थानीय निकाय, लोक निर्माण विभाग, पर्यटन विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व भूमि उपलब्ध कराने वाले विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिति इकाई की स्थापना के लिए भूमि चयन और योजना की निगरानी भी करेगी।

****